संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_Mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222790, 222791

आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक 18/11/2024

क्रमांक 592/स्थापना/2024 : संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के शिक्षण विभागों में शैक्षणिक सत्र् 2024–25 के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार अध्यापन व्यवस्था हेतु **"अतिथि व्याख्याता नीति – 2024"** के परिपालन एवं वांछित अर्हताओं के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता हैं –

क्र	अतिथि शिक्षक का नाम	विभाग का नाम	शैक्षणिक अर्हता (अंतिम)	वांछित श्रेणी
1	डॉ उमेश कुमार पाण्डेय	कंप्यूटर साइंस विभाग	PhD	1
2	डॉ शिशिर तिवारी	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	PhD	1
3	श्री बजरंग देवांगन	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	UGC NET	2
4	डॉ जयमंगल तिर्की	फार्म फारेस्ट्री विभाग	PhD	1
5	श्री पंकज	फार्म फारेस्ट्री विभाग	UGC NET	2
6	श्री मनीष कुमार मानकुर	फार्म फारेस्ट्री विभाग	PhD	1

शर्तें (अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार) :

1. यह नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था के तहत् सत्र 2024–25 से आगामी आदेश अथवा प्रत्येक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु कार्य संपादन कराया जाएगा। **(प्रस्तावना एवं कंडिका 14.2 के तहत्)**
2. यह नियुक्ति आपको प्रतिदिन 4 कालखंड के लिए की जाती है तथा उक्त व्याख्यान के लिए प्रति व्याख्यान 500/– रूपये (अधिकतम 2000 रूपये प्रतिदिन तक) की दर से मानदेय देय होगा जो प्रतिमाह 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) से अधिक नहीं होगा। **(कंडिका क्र 10 की तालिका के तहत्)**
3. अध्यापन संबंधी कार्यों को छोड़कर अतिरिक्त कार्यों के लिए अतिथि व्याख्याताओं को प्रति कार्य दिवस 400/– रूपये एवं 1 माह में अधिकतम 20 कार्यदिवसों के लिए 8,000/– रूपये देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय को मिलाकर 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) से अधिक का मासिक भुगतान नहीं किया जायेगा। अर्थात् मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) होगा। **(कंडिका क्र 10.5 के तहत्)**
4. श्रेणी 1, 2 एवं 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता जिन्हें 3 शैक्षणिक सत्र (न्युनतम 15 माह) का अध्यापन अनुभव है, वे राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य संपादन कर सकते हैं जिसका भुगतान संबंधित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु प्रचलित नियमानुसार किया जाएगा। **(कंडिका क्र 12 के तहत्)**
5. आपको नियुक्ति आदेश जारी होने के 7 दिवस के अदंर कार्य पर उपस्थित होना होगा।

क्रमशः पेज–2

Scanned with OKEN Scanner

6. आपको इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में देना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई है।**(कंडिका कं 7.2 के तहत्)**
7. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आप के द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परिक्षण में अभिलेख सही पाये जाने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में की गयी नियुक्ति भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और ना हि वह अधिमानिक बर्ताव (Preferencial Treatment) के हकदार होगें।
9. अतिथि व्याख्याताओं के शैक्षणिक कार्यों का मुल्यांकन प्रत्येक माह होगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर या किसी प्रकार के शिकायत पाये जाने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के अतिथि व्याख्याता के संदर्भ में किया गया चयन समाप्त कर दिया जाएगा।
10. अध्यापन कार्य के अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर सौपें गये अन्य विश्वविद्यालयीन कार्य भी करना होगा।
11. अतिथि व्याख्याता के संबंध में यह अंतरिम व्यवस्था अत्यंन्त अस्थायी है तथा शैक्षणिक पदो के नियमित नियुक्ति पर यह आदेश स्वतः शून्य हो जाएगा।

(कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

पृ.क्रमांक :593/स्थापना/2024 — अम्बिकापुर, दिनांक 18/11/2024

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय,सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
3. सर्व संबंधित अतिथि व्याख्याताओं की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. कार्यालयीन नस्ती।

सहायक कुलसचिव (स्थापना)

Scanned with OKEN Scanner